# ग्राम पंचायत जोल, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

## अवधि 01.04.14 से 31.03.17

**1 (क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत जोल, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

**अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-**

**प्रधान:-**

| क्र॰ सं॰ | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्री संसार चन्द | 01.04.14 से 31.03.15 |
| 2 | श्री पृथी राज | 01.04.15 से 22.01.16 |
| 2 | श्रीमति कुसुम कुमारी | 23.01.16 से लगातार |

**सचिव:-**

| क्र0सं0 | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्री संसार चन्द | 01.04.14 से 31.03.17 |

**(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-**

ग्राम पंचायत जोल, विकास खण्ड सुजानपुर के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है ।

| क्र0सं0 | पैरा सं0 | अनियमितताओं का संक्षिप्त सार | राशि (लाखों में) |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा-4.2 | रोकड़ वही के अन्तिम शेषों का बैंक खातों से मिलान न करना | - |
| 2 | पैरा-4.3 | बैंक में जमा राशि का रोकड़ वही में लेखांकन न करना | 0.76 |
| 3 | पैरा-5 | पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष | 0.07 |
| 4 | पैरा-6 | अनुदान का उपयोग न करना | 16.28 |
| 5 | पैरा-8 | औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना | - |
| 6 | पैरा-9 | क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना | - |
| 7 | पैरा-10 | पंचायत निधि से दोहरा (Double) भुगतान | 0.09 |
| 8 | पैरा-11 | स्वीकृत राशि से अधिक व्यय | 0.11 |
| 9 | पैरा-12 | निर्माण कार्यों में निर्माण सामग्री का प्रयोग सही | - |

अनुपात में न करना

2 **वर्तमान अंकेक्षण:-**

ग्राम पंचायत जोल, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 4/2014 से 03/2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी व श्री नरेन्द्र कुमार, आर्टिक्ल सहायक द्वारा दिनांक 04.05.17 से 08.05.2017 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

| **वित्तीय वर्ष** | **आय** | **व्यय** |
|---|---|---|
| 2014-15 | 06/2014 | 07/2014 |
| 2015-16 | 12/2015 | 07/2015 |
| 2016-17 | 03/2017 | 03/2017 |

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा ।

3 **अंकेक्षण शुल्क:-**

ग्राम पंचायत जोल, विकास खण्ड सुजानपुर के अवधि 4/2014 से 3/2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 363 दिनांक 06.05.17 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा ड्राफ्ट संख्या 200956 (KCCB) दिनांक 09.05.17 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया।

4 **वितीय स्थिति:-**

ग्राम पंचायत जोल, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी:-

**(1) स्व स्त्रौत:-** ग्राम पंचायत जोल, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण:-

| **वर्ष** | **अथशेष** | **प्राप्ति** | **योग** | **व्यय** | **अन्तिम शेष** |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 97584 | 4583 | 102167 | 9935 | 92232 |
| 2015-16 | 92232 | 23863 | 116095 | 19058 | 97037 |
| 2016-17 | 97037 | 56065 | 153102 | 26742 | 126360 |

**(2) अनुदान:-** ग्राम पंचायत जोल, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है :-

| वर्ष | अथशेष | प्राप्ति | योग | व्यय | अन्तिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 718487 | 1010681 | 1729168 | 1427808 | 301360 |
| 2015-16 | 301360 | 1630976 | 1932336 | 1056137 | 876199 |
| 2016-17 | 876199 | 3476070 | 4352269 | 2723963 | 1628306 |

**4.1 बैंक समाधान विवरणी :-**

**स्व स्त्रौत :-**

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹ 126360

**अनुदान :-**

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹ 1628306

Cheque No. 00002 dated 14.03.17 (14th FC) ₹ 1015/-issued but not presented for payment

दिनांक 31.03.17 को बैंक खातों में शेष : ₹ 1754851

हस्तगत राशि : ₹ 310

अन्तर की राशि : ₹ 519.70

| बैंक खाता संख्या | राशि |
|---|---|
| GEN. (B) KCCB-05182 | 278350.20 |
| GEN. (A) KCCB-63337 | 180988 |
| Water Guard, PNB-65042 | 0 |
| IAY, PNB-65006 | 2116.10 |
| MMAGY, HDFC-93941 | 175266 |
| MP LAD , HDFC-93875 | 140098 |
| MLA-GEN, HDFC-94062 | 78227 |
| 14th FC, HDFC-96203 | 684452 |
| 13th FC, PNB-38482 | 215354 |
| MNREGA, CANARA-04197 | 0 |
| **कुल राशि** | **1754851.30** |

**4.2 रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करना :-**

ग्राम पंचायत जोल की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था । जिसके कारण

दिनांक 31.3.17 को पैरा 4.1 में वर्णित रोकड़ वही व बैंक के अन्तिम शेषों में ₹51970 का अन्तर था। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाये।

**4.3 बैंक में जमा राशि का रोकड़ वही में लेखांकन न करना:-**

जांच में पाया कि पंचायत में स्व जल धारा के नाम से बैंक खाता संख्या KCCB-20042047407 खोला गया था जिसमें दिनांक 31.03.17 को ₹76135 जमा थे एवं इस खाते का रख-रखाव रोकड़ वही में नहीं किया गया था एवं अंकेक्षण अवधि में इस खाते से कोई लेन-देन भी नहीं किया गया था। अंकेक्षण के दौरान पंचायत सचिव द्वारा इस खाते के रख-रखाव के उदेश्य से अंकेक्षण को अवगत नहीं करवाया जिससे इस खाते में जमा राशि के दुरुपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः इस खाते को खोलने के उदेश्य से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ एवं इसका रख-रखाब रोकड़ वही में करना सुनिश्चित करें ताकि इसमे जमा राशि का दुरुपयोग न हो सके ।

**4.4 पंचायत के खाते निजी बैंक में खोलने बारे:-**

जांच में पाया कि पंचायत के 14th FC, MMAGY, MP LAD, एवं MLA-GEN के खाते निजी बैंक एचडीएफ़सी सुजानपुर में खोले गए थे जो कि वित विभाग के पत्र संख्या Fin-IF(A)1-68/91-V दिनांक 17.04.14 में दिये गए दिशा-निर्देशों की अवहेलना है। उक्त पत्र में वर्णित निर्देशों के अनुसार सरकारी संस्थानों की अतिरिक्त राशि Cooperative Bank में निवेशित की जानी अपेक्षित थी। अतः पंचायत निधि की राशि को निजी बैंक में रखने का औचित्य स्पष्ट करें एवं उक्त पत्र के निर्देशों के अनुसार Cooperative Bank की नजदीक की शाखा में पंचायत की राशि को निवेशित करना सुनिश्चित करें।

**5 पंचायत राजस्व ₹0.07 लाख वसूली हेतु शेष:-**

पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में गृहकर एवं किराये के रूप में वसूली हेतु ₹7220 की राशि शेष थी, जिसकी वसूली करना सुनिश्चित करें एवं नियमानुसार गृहकर का रजिस्टर भी तैयार करना सुनिश्चित करें। निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.17 तक पंचायत के राजस्व ₹7220 की वसूली शेष थी ।

**1 गृहकर :**

| वर्ष | अथशेष | गृहकर की अपेक्षित मांग | योग | प्राप्ति | वसूली हेतु शेष राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 0 | 20340 | 20340 | 0 | 20340 |
| 2015-16 | 20340 | 6800 | 27140 | 14560 | 12580 |
| 2016-17 | 12580 | 6860 | 19440 | 13720 | 5720 |

**2 किराया: (सामुदायिक भवन**

| वर्ष | अथशेष | किराये की अपेक्षित मांग | योग | प्राप्ति | वसूली हेतु शेष राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 |
| 2015-16 | 1200 | 1700 | 2900 | 1600 | 1300 |
| 2016-17 | 1300 | 2900 | 4200 | 2700 | 1500 |

**3 भू- राजस्व की वसूली न करना:-**

पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेखों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 2014-15 से 2016-17 में भू-राजस्व की वसूली नहीं की थी एवं न ही इसकी वसूली हेतु उचित प्रयास किए गए थे। अतः नियमानुसार भू-राजस्व की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करने के साथ-साथ इसकी वसूली प्रतिवर्ष करना सुनिश्चित करें ।

**6 अनुदान ₹16.28 लाख का उपयोग न करना :-**

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1)** के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान ₹1628306 उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

**7 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही व्यय करना :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से संबन्धित व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्नविवरणानुसार निर्माण कार्यों पर व्यय प्रशासनिक

व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जोकि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रौत से करने के उपरान्त अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाये ।

| क्र॰सं | अवधि | कार्य का नाम |
|---|---|---|
| | | **General Cash Book** |
| 1 | 2014-15 | नि. आँगनबाड़ी केंद्र, पलाही |
| 2 | 2015-16 | नि. बाड़बन्दी, परगना से पलाही गाँव की ओर |
| 3 | 2016-17 | नि. कमरा ग्राम पंचायत जोल |
| | | **13th FC** |
| 3 | 2014-15 | नि. गौशाला समौता |

**8 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है । चयनित माहों के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्नविवरणानुसार पंचायत द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं अर्थात निविदाएँ आमंत्रित किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

| क्र॰ | वाउचर संख्या | बिल का विवरण | सामग्री का विवरण | राशि | कार्य का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| | **General Cash Book** | | | | |
| 1 | 1 दिनांक 09.08.14 | Bill No. 6832 Dated 07.08.14, M/s Rana Trading Company | स्टील | 42450.00 | नि. आंगनबाड़ी केन्द्र, पलाही |
| 2 | 17 दिनांक 14.11.14 | Bill No. - Dated -, M/s Bihari Lal | ईंटें | 12200.00 | -do- |
| 3 | 19 दिनांक 18.11.14 | Bill No. 880 Dated 11.08.14, M/s Thakur Furniture Industry | खिड़कियाँ व दरवाजे | 16820.00 | -do- |
| 4 | 33 दिनांक 09.12.15 | Bill No. 705 Dated 14.11.15, M/s New Bandhoo Hardware | Angle | 14206.00 | नि. बाड़ बन्दी परगना से पलाही गाँव की ओर |
| | **13th FC** | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 दिनांक 29.09.14 | Bill No. 30 Dated 23.09.14, M/s City Sales | खेल सामग्री | 39000.00 | - |
| 6 | 7 दिनांक 29.09.14 | Bill No. 348 Dated 23.09.14, M/s Universal Trade Link | खेल सामग्री | 2900.00 | - |
| 7 | 12 दिनांक 10.02.15 | Bill No. 2087 Dated 09.02.15, M/s Rana Trading Company | स्टील | 13060.00 | नि. गौशाला समौता |
| 8 | 12 दिनांक 10.02.15 | Bill No. 2038 Dated 05.02.15, M/s Rana Trading Company | स्टील | 108100.00 | -do- |
| 9 | 3 दिनांक 30.09.15 | Bill No. 4535 Dated 21.09.15, M/s Rana Trading Company | स्टील | 66300.00 | -do- |

**9 क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69, 70 एवं 71 में क्रय की गई सामग्री के भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज करने, जारी करने एवं भण्डारण संबन्धित औपचारिकतायें प्रावधित है। अंकेक्षण अवधि के चयनित माहों के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा पैरा-8 में वर्णित बिलों में क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में नहीं किया गया था, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये समस्त क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें ।

**10 ₹9120 का दोहरा (Double) भुगतान करने बारे :-**

जांच में पाया कि पंचायत के खाता संख्या MAGY-93941 (HDFC) से दिनांक 08.03.17 को ₹9120 का भुगतान क्रमशः श्री राजेश कुमार को ₹3480, श्री मदन लाल को ₹2160 एवं श्री अशोक कुमार को ₹3480 किया गया था एवं इसके पश्चात दिनांक 16.03.17 को बैंक द्वारा ₹9120 का भुगतान पुनः कर दिया गया था । अतः अंकेक्षण के दौरान इस अनियमित भुगतान की सूचना पंचायत सचिव को दी गई थी, जिस पर कार्यवाही करते हुए ₹9120 की वसूली उचित स्त्रौत से करके दिनांक 06.05.17 को बैंक खाते मे जमा कर दिये गए थे एवं इसकी पुष्टि भी अंकेक्षण के दौरान कर ली गई थी। अतः भविष्य में इस प्रकार की गलती को न दोहराया जाये ।

**11 स्वीकृत राशि से अधिक व्यय करने पर ₹11376/- की वसूली करने बारे :-**

जांच में पाया कि कार्य "C/O Room GPS Jol " के लिए MMAGY के अंतर्गत ₹ 300000 की राशि स्वीकृत एवं प्राप्त की गई थी जबकि इस कार्य में

₹311376 खर्च कर दी गई थी अर्थात इस कार्य पर ₹11376 अधिक खर्च कर दी गई थी जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रौत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

12 **निर्माण कार्यों में निर्माण सामग्री का प्रयोग सही अनुपात में न करना :-**

**1 नि. पक्का रास्ता अमीं चन्द के घर की ओर" (13th FC) :**

माप पुस्तिका 5342 पृष्ठ 3 में उक्त निर्माण कार्य के परिमाप की प्रविष्टियों की जांच में पाया कि इस कार्य के लिए सीमेंट, रेत व बजरी की खपत से संबन्धित एक मद " P/L C:C 1:3:6" का निष्पादन किया गया था, जिसके लिए नियमानुसार निम्नलिखित सामग्री की खपत अपेक्षित थी :

| मद का नाम व निष्पादित मात्रा | सीमेंट की अपेक्षित मात्रा | रेत की अपेक्षित मात्रा | बजरी की अपेक्षित मात्रा (20mm एवं 75mm) |
|---|---|---|---|
| P/L C:C 1:3:6, 10.354 CUM | 10.354X 4.40 = 46 बैग | 10.354X 0.47 = 4.87 CUM OR 172 CFT | 10.354 X 0.89 = 9.22 CUM OR 325 CFT |

जांच में पाया कि उक्त कार्य में अपेक्षित 46 बैग सीमेंट के स्थान पर केवल 35 बैग सीमेंट का ही प्रयोग किया गया था एवं रेत व बजरी की अपेक्षित खपत क्रमशः 172 CFT एवं 325 CFT के स्थान पर 122 CFT एवं 244 CFT की गई दर्शाई गई थी । अतः ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त कार्य के निर्माण में सीमेंट, रेत व बजरी की सही मात्रा नहीं डाली गई थी जिससे उक्त कार्य के निर्माण की गुणवता पर संदेह पैदा होता है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें ।

**2 नि. पक्का रास्ता अर्जुन सिंह के खेत से विधि चन्द के घर की ओर" (13th FC) :**

माप पुस्तिका 5342 पृष्ठ 5 में उक्त निर्माण कार्य के परिमाप की प्रविष्टियों की जांच में पाया कि इस कार्य के लिए सीमेंट, रेत व बजरी की खपत से संबन्धित एक मद " P/L C:C 1:3:6 " का निष्पादन किया गया था, जिसके लिए नियमानुसार निम्नलिखित सामग्री की खपत अपेक्षित थी :

| मद का नाम व निष्पादित मात्रा | सीमेंट की अपेक्षित मात्रा | रेत की अपेक्षित मात्रा | बजरी की अपेक्षित मात्रा (20mm एवं 75mm) |
|---|---|---|---|
| P/L C:C 1:3:6, 10.296 CUM | 10.296X 4.40 = 45 बैग | 10.296 X 0.47 = 4.84 CUM OR 170 CFT | 10.296 X 0.89 = 9.16 CUM OR 323 CFT |

जांच में पाया कि उक्त कार्य में अपेक्षित 45 बैग सीमेंट के स्थान पर केवल 35 बैग सीमेंट का ही प्रयोग किया गया था एवं रेत व बजरी की अपेक्षित खपत क्रमशः 170 CFT एवं 323 CFT के स्थान पर 122 CFT एवं 244 CFT की गई दर्शाई गई थी । अतः ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त कार्य के निर्माण में सीमेंट, रेत व

बजरी की सही मात्रा नहीं डाली गई थी जिससे उक्त कार्य के निर्माण की गुणवता पर संदेह पैदा होता है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें ।

**3 नि. जल संग्रहण टैंक" (MNREGA):** माप पुस्तिका 5341 पृष्ठ 8-9 में उक्त निर्माण कार्य के परिमाप की प्रविष्टियों की जांच में पाया कि इस कार्य के लिए सीमेंट की खपत से संबन्धित निम्नलिखित मदों का निष्पादन किया गया था, जिसके लिए नियमानुसार निम्नलिखित सामग्री की खपत अपेक्षित थी:

| मद का नाम व निष्पादित मात्रा | सीमेंट की अपेक्षित मात्रा |
|---|---|
| P/L C:C 1:3:6, 11.99 CUM | 11.99 X 4.40 = 53 बैग |
| P/L C:C 1:1.5:3, 0.98 CUM | 0.98 X 8 = 8 बैग |
| 15 mm cement plaster, 36.28 $m^2$ | 36.28 x 0.86/10 = 3 बैग |
| सीमेंट की कुल अपेक्षित खपत | 64 बैग |

जांच में पाया कि उक्त कार्य में अपेक्षित 64 बैग सीमेंट के स्थान पर केवल 42 बैग सीमेंट का ही प्रयोग किया गया था। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त कार्य के निर्माण में सीमेंट, रेत व बजरी की सही मात्रा नहीं डाली गई थी जिससे उक्त कार्य के निर्माण की गुणवता पर संदेह पैदा होता है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें ।

अतः उक्त कार्यों में निर्धारित मानकों के अनुसार सही अनुपात में सीमेंट, रेत व बजरी का प्रयोग न करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा उक्त कार्यों पर किए गए अनुपयोगी व्यय की वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ।

**13 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1. अनुदान रजिस्टर
2. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर ।
3. गृहकर का रजिस्टर तैयार न करना ।
4. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना ।
5. किराये के रख-रखाव का रजिस्टर तैयार न करना ।
6. वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में सामान्य एवं मनरेगा के भण्डार रजिस्टर का रख-रखाव न करना ।

**14 प्रत्यक्ष सत्यापन :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान

पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

15 **<u>लघु आपति विवरणिका</u> :-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी-2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

16 **निष्कर्ष :-**लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

हस्ता/-
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.
फोन नं0 0177-2620046

पृष्ठांकन संख्याः-फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(6)13/2017-खण्ड-1-4871-4874,
दिनाँक-8.08.17 शिमला-09,

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

**पंजीकृत**

1. सचिव, ग्राम पंचायत जोल, विकास खण्ड सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर हि0प्र0

हस्ता/-
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.
फोन नं0 0177-2620046